न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–19/2008

CIS No.-TS 369/2018

नंदलाल तिवारी.....वादी

बनाम

मधुसूदन शुक्ल.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
17.05.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 11.12.2024 को दाखिल आवेदन पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने आवेदन दिनांक 11.12.2024 में कहा गया है कि प्रतिवादी काफी वृद्ध है तथा अक्सर बीमार रहा करते है। उक्त वाद में प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी सहित कुल आठ साक्षियों का साक्ष्य हो चुका है। इधर वाद से संबंधित सभी कागजातों का अवलोकन करने पर प्रतिवादी को यह ज्ञात हुआ है कि भूलवश प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि सहित अन्य भूमि यानी कुल दो कट्ठा के निस्वत वय बिलोफा मियादी पांच साला निबंधित दस्तावेज सं0–4252, दिनांक 17.05.2008 नविस्ते मधुसूदन शुक्ल (प्रतिवादी) बनाम श्री प्रभु मिश्रा वल्द स्व0 माधुरी शरण मिश्र निष्पादित किया गया था, जिसका उल्लेख प्रतिवादी द्वारा दाखिल अपने शपथ पत्र में नहीं हो सका। उक्त वय विलोफा निबंधित दस्तावेज में मुन्दर्ज भूमि को प्रतिवादी ने प्रभु मिश्र के पक्ष में मोबलिग रू0 2000/– में वय विलोफा निष्पादित कर प्रभु मिश्र को 5 वर्ष के लिए दखल कब्जा दे दिए थे। उक्त भूमि प्रभु मिश्र दिनांक 16.06.2013 को प्रतिवादी से 2000/– रुपया पाकर उक्त मूल वय बिलोफा दस्तावेज पर वापसी लिखकर अपना हस्ताक्षर कर प्रतिवादी को वापस कर दखल कब्जा दे दिए। असल वय बिलोफा निबंधित दस्तावेज मैं अपने पास से दाखिल कर रहा हूं जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है, जिसे प्रदर्श अंकित करना न्यायहित में आवश्यक है। यदि प्रतिवादी द्वारा दाखिल उक्त बैय बिलोफा दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने का आदेश नहीं किया गया तो प्रतिवादी को घोर एवं अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा निष्पादित बैय बिलोफा निबंधित दस्तावेज सं0–4252 दिनांक 17.05.2008	

<u>न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–19/2008</u>

<u>CIS No.-TS 369/2018</u>

नंदलाल तिवारी.....वादी

बनाम

मधुसूदन शुक्ल.....प्रतिवादी

लगातार 17.05.2025	को न्यायहित में ग्रहण करने हेतु प्रदर्श अंकित करने की कृपा प्रदान करे। इसके लिए प्रतिवादी श्रीमान् का सदा आभारी रहेंगे। वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है और खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिउत्तर हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन को दिनांक 11.12.2024 को मो0 500/– रूपया हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 04.07.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	